न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या – 57/24 प्रा०पत्र

1. श्री गट्टाराम S/o श्री कालीराम दरोगा निवासी-हिराखिया तहसील-माण्डल

प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामलाल S/o श्री कालीराम दरोगा निवासी- हिराखिया तहसील- माण्डल (कॉल)
[अस्वीकृत प्रा०पत्र संबंध]

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-126 रा.टी.अधि. 1956

दिनांक– 21.5.24

आदेश

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-126 रा.टी.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हिराखिया पटवार हल्का आलमाना तहसील माण्डल में इसके खाते/संयुक्त खाते की खाता संख्या 703/1 कुल किता 01 रकबा 0.6323 हस्तांतरित किया है। वादग्रस्त भूमि के विक्रेतागण के मात्र आराजी मुतदादिया के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते है जिससे प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करवाने चाहते है।

संलग्न प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 13.03.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की पत्रावली से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों की होने से पत्थरगढ़ी करने का औचित्य है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्देशित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते एवं न्यायालय की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-126 रा.टी.अधि. 1956 को स्वीकार किया जाकर ग्राम हिराखिया पटवार हल्का आलमाना तहसील माण्डल में इसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 703/1 किता 01 रकबा 0.6323 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलमाना 500 रुपये/– कमिश्नर दरोगा पर [illegible] की वसूली से शेष [illegible] को बनाये रखते हुए मुतखीत मेहदू को आधार [illegible] की जावे। कब्जा खाली होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:46:19 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल